



षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.11.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री श्याम रजक,
स०वि०स०
श्री ललित कुमार यादव,
स०वि०स०
श्री मनीष कुमार,
स०वि०स०
श्री शकील अहमद खॉं,
स०वि०स०
श्री प्रभुनाथ प्रसाद,
स०वि०स०

“विगत कुछ वर्षों से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभिन्न वर्षों की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को एक साथ सम्मिलित कर एक ही परीक्षा आयोजित की जा रही है।

संयुक्त परीक्षा के आयोजन से लाखों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा अचानक समाप्त हो जाने के कारण उन्हें अवसर की क्षति हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में सात वर्ष की छूट देकर परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आयोग से पत्राचार हो चुका है। उम्र में इस तरह की छूट पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य आयोग द्वारा भी यदाकदा दिये गये हैं।

अतएव 53वीं से 55वीं की एकीकृत परीक्षा से प्रभावित अभ्यर्थियों को 60वीं से 62वीं की एकीकृत चतुर्थ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०
श्री प्रकाश राय, स०वि०स०
डा० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स०
श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०
डा० सुनील कुमार, स०वि०स०
श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०
श्री राज कुमार साह, स०वि०स०
श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०
श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स०
श्री रणविजय सिंह, स०वि०स०
- “बिहार प्रदेश में तकरीबन पाँच हजार फार्माशिष्ट का पद रिक्त है। वर्ष 1999 के विज्ञापन से कुछ बहाली 2015 में हुई परन्तु इसके बाद न विज्ञापन आया न बहाली हुई, जबकि संचिका संख्या-870(4) दिनांक-01.09.2015 द्वारा अधियाचना बिहार कर्मचारी आयोग को भेजा जा चुका है।
- अतः अस्पताल एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर फार्माशिष्ट की बहाली हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/16-3505-3518 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2016 ई०।
प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.11.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/16-3505-3518 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 नवम्बर, 2016 ई०।
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


28.11.16

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।


28.11.16